न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः– श्री कुसुमलता चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व प्रा० पत्र संख्या 60 / 2023

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1. अशोक प्रकाश पुत्र शंकरलाल जाति जाट निवासी– चण्डालव नगर, तहसील– सोजत जिला– पाली।		01. दलपतराज पुत्र धन्नाराम जाति जाट निवासी– चण्डालव नगर, तहसील– सोजत जिला– पाली। 02. श्याम प्रकाश पुत्र शंकरलाल जाति जाट निवासी मुरलीधर का चौक, जाटों का बास 7नाईयों के मौहल्ले के पास चण्डावलनगर तहसील सोजत हाल निवासी गोवर्धन ज्वैलर्स, सम्पतगिरी नगर 03. तिरूपति बालाजी। इन्द्रादेवी पुत्री शंकरलाल पत्नी बाबुलाल ढाका जाति जाट निवासी त्रिपोलिया बाजार, 04. जैतारण तहसील जैतारण मालती देवी पुत्र गोरधन जाति जाट निवासी– चण्डालव नगर, 05. तहसील– सोजत जिला– पाली। गुटियादेवी पुत्री गोरधन जाति जाट निवासी– चण्डालव नगर, 06. तहसील– सोजत जिला– पाली। उप पंजीयन अधिकारी बगड़ी 07. नगर जिला पाली। तहसीलदार भूमिधारक सोजत तहसील सोजत, जिला– पाली।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट

उपस्थितिः–

01. श्री महेन्द्र चौधरी अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
02. श्री कैलाश दवे अधिवक्ता अप्रार्थीगण उपस्थित।

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

–: निर्णय :– दिनांक ०५/०३/२५

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट 1955 के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौज गुड़ा बच्छराज तहसील सोजत के खसरा नंबर 338 रकबा 0.87 हैक्टर की कृषि भूमि आई हुई स्थित है। वर्तमान राजस्व रकर्ड में प्रार्थी संख्या 01 के 01/04 व अप्रार्थी संख्या एक दलपतराम क 01/02 व अप्रार्थी संख्या 02 श्यामप्रकाश के नाम दर्ज सुदा है। वादस्थ कृषि भूमि के वर्तमान खसरा नम्बर 338 रकबा 0.8700 हैक्टर वक्त सैटलमेन्ट पुराने खसरा नम्बर 113 रकबा 5 बीघा 06 बीस्वा से बने है। पुराने खसरा नम्बर 113 की संपूर्ण कृषि भूमि खातेदर सुखा बल्द जाला के नाम दर्जसुदा थी। सुखा वल्द जाला ने अपनी संपूर्ण कृषि भूमि को पुखराज व नारमल पिसरान हिरचंद कौम महाजन साकिन सवराड को दिनांक 15.07.1958 को बेचान कर दी। पुखराज व नारमल ने प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 02 व 03 की नानी व अप्रार्थी संख्या 04 व 05 की माता पारी देवी को जरिए बेचान रजिस्ट्री दिनांक 24.04.1962 को बेचान कर कब्जा सुपुर्द कर दिया। संवत् 2046 से 2049 की जमाबंदी बनाते समय पारी देवी अकेले के नाम जमाबंदी 2042 से

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

2045 के अनुसार इन्द्राज किया जाना चाहिए था किंतु बिना किसी सक्षम आदेश के पारी देवी के साथ धन्ना वल्द चतरा का नाम दर्ज कर दिया गया अर्थात बिना किसी आदेश धन्ना वल्द चतरा का राजस्व रेकर्ड मे विधि विरूद्ध तरीके से इन्द्राज किया गया। पारी देवी ने वृद्ध व अनपढ तथा राजस्व रेकर्ड का ज्ञान नही होने से राजस्व रेकर्ड का दुरूस्तीकरण नही करवाया। पारी देवी का देहांत दिनांक 12.07.2008 के हो चुका है एवं विरासती एव हक त्याग से पारी देवी के स्थान पर सेणी देवी का नाम दर्ज किया गया। धन्नाराम पुत्र चतराराम का देहांत होने के पश्चात् अप्रार्थी संख्या एक ने वाले वाले अपने पिता के स्थान पर अपना नाम इन्द्राज करवा दिया। अप्रार्थी संख्या एक व उनके पिता धन्ना का वादस्थ कृषि भूमि पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है। राजस्व रेकर्ड में नाम दर्ज होने से वादस्थ भूमि पर कब्जा करने की नियत से मौके पर आकर बेदखल करने की एलानिया धमकियां देने लगे एवं वादस्थ भूमि का बेचान व अन्य हस्तांतरण करने पर आमादा है। वादस्थ भूमि प्रार्थी की माता व नानी पारी देवी की खरीदसुदा कृषि भूमि है। जिसे प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। विधि विरूद्ध इन्द्राज से अप्रार्थीगण प्रार्थी को बेदखल करने एवं बेचान करने पर आमाद है जिससे प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी।

इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वादस्थ भूमि के मौके एवं रेकर्ड की यथास्थिति रखने एवं बेचान अन्य हस्तांतरण करने से अप्रार्थीगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा रोके जाने की ईस्तदुआ की है।

अप्रार्थी संख्या 02 से 07 बावजूद सूचना/तामील बार बर आवाजे लगाने के बावजूद अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही आज अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 01 दलपतराज ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रस्तुत पार्थना पत्र पद संख्या 02 में अप्रार्थी संख्या 01 का 01/02 हक हिस्सा खातेदारी कब्जा काश्त का स्थित है। उसी हक हिस्से अनुसार मौके पर अप्रार्थी संख्या 01 उपयोग उपभोग करते हैं। पैरा संख्या तीन प्रार्थी सक्षम दस्तावेजी साक्ष्य से साबित करें। पुखराज नारमल पिसरान हिराचंद को बेचान की गई वादस्थ भूमि की जानकारी अप्रार्थी संख्या एक को नहीं है। अप्रार्थी संख्या 01 के पिता धन्ना वल्द चुतरा व गोरधन पुत्र चुतरा दोनों सगे भाई थे जो कि 24.04.1964 वक्त बेचान व उससे पूर्व संयुक्त हिंदू परिवार की हैसियत से निवास करते थे। पुखराज एवं नारमल पिसरान हिराचंद से प्रार्थी के नाना गोरधन एवं अपार्थी संख्या एक के पिता धना वल्द चुतरा संयुक्त रूप से राशि अदा कर प्रतिफल अदा कर भूमि को खरीद कर कब्जा प्राप्त किया जिसमें अपार्थी संख्या एक के पिता द्वारा 01/02 हक हिस्से को प्रतिफल की राशि वहन की। चूंकि प्रार्थी के नाना एवं अपार्थी संख्या एक के पिता सगे भाई थे इसलिए प्रार्थी के नाना ने अपार्थी के पिता को प्रेम व विश्वास में लेकर 01/02 हक हिस्सा संयुक्त रूप से खरीद किया लेकिन बेचान रजिस्ट्री में पुरूष के नाम बेचान पंजीयन करवाने का खर्चा ज्यादा होगा इसलिए प्रार्थी के नाना गोरधन ने उक्त रजिस्ट्री अपनी पत्नी के नाम करवा दी। राजस्व कचारियों द्वारा जमाबंदी बनाते समय पारी देवी एकेले के नाम पूर्व की जमाबंदी अनुसार इन्दाज किया जाना चाहिए था, पद में लिखा गया यह कथन असत्य है। गोरधनलाल व अप्रार्थी संख्या एक के पिता धन्नालाल ने पारिवारिक स्तर पर मौखिक बंटवारा कर ग्राम चण्डावल में बेरा कडवों की ढीमडी अपार्थी संख्या एक के पिता धन्नाराम के हक में रखी। व इसी अनुरूप गाम चण्डावल नगर में बेरा सेलों की ढीमड़ी पर स्थित भूमि को गोरधनलाल के हिस्से में रखी। कड़वो की ढीमडी कम उपजाउ व कम कीमती होने से पारिवारिक बंटवाडे में अप्रार्थी संख्या 01 के पिता का नाम अमल दरामद किया गया। जिससे प्रार्थी एस्टोपड है। वादस्थ भूमि के 01/02 हक हिस्से में अप्रार्थी काबिज है एवं उपयोाग उपभोग कर रहे हैं। प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 01 के खातेदारी अधिकार में प्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

को किसी प्रकार का दखल देने का अधिकार नहीं है। अप्रार्थी संख्या 01 वादस्थ भूमि का रेकर्डड खातेदार हैं जिसके विरूद्ध किसी भी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी प्रार्थी नहीं है। प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन व अपूर्णय क्षति प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध नहीं होकर अपार्थी संख्या एक के पक्ष में सिद्ध होता है। इस पकार जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सह व खारिज किए जाने की ईश्तदुआ की है।

बहस विद्धान अधिवक्तागण अभिभाषक उभयपक्षीय सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण ने व्यक्त किया कि वादस्थ भूमि में संवत् 2046 से 49 की जमाबंदी बनाते समय पारी देवी पत्नी गोरधन राम एकेले की खरीदसुदा कृषि भूमि में बिना किसी सक्षम आदेश तथा बेचान व अन्य हस्तांतरण हुए बिना ही धन्ना वल्द चतरा का नाम दर्ज कर दिया गया। उक्त गलत इन्द्राज के आधार पर धन्ना के वारिसान व विरासती नामांतरकरण से खातेदार दर्ज होने से प्रार्थी को बेदखल करने व बेचान व अन्य हस्तांतरण करने पर आमादा है जिससे अप्रार्थीगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा रोके जाने व दिनांक 18.05.2023 को जारी अंतरिम निषेधाज्ञा को वाद निर्णय के पुख्ता किए जाने की ईस्तदुआ की है। जवाब बहस में अधिवक्ता अप्रार्थी ने जाहिर किया कि वादस्थ भूमि में पारिवारिक सैटलमेंट के आधार पर प्रार्थीगण का नाम उनके पूर्वजों द्वारा दर्ज करवाया गया है। प्रार्थीगण की नियत खराब हो चुकी है व अप्रर्थीगण के अपनी खातेदारी कृषि भूमि से विमुक्त करने हेतु वाद पेश किया है। प्रार्थी अप्रार्थी रेकर्डड खातेदार है। रेकर्डड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने की ईस्तदुआ की है।

हमने पत्रावली का अध्ययन किया। प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र फहरिशत व दस्तावेजात का अध्ययन कर विद्वान अधिवक्ता के अभिवचनों पर गौर कर मनन किया। दस्तावेजी साक्ष्यों से प्रथम दृष्टया संवत् 2046 से 49 की जमाबंदी में धन्ना वल्द चतरा का नाम किस आधार पर राजस्व रेकर्ड पर दर्ज हुआ यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। जिससे प्रथम दृष्ट्या मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित नही होकर प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होता है। वादस्थ भूमि का यदि दौराने वाद बेचान व अन्य हस्तांतरण होता है तो वाद बाहुल्यता बढ़ेगी । जिससे सुविधा के संतुलन व अपूर्णिय क्षति भी अप्रार्थीगण के पक्ष में नहीं होकर प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होती है।

–: आदेश :–

अतः उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है। अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थी जारी की जाती है कि अप्रार्थीगण वाद निर्णय तक सरहद मौजा गुड बच्छराज के वर्तमान खसरा नम्बर 238 रकबा 0.87 हैक्टर कृषि भूमि के मौके व रेकर्ड की यथास्थिति यथावत् रखें एवं उक्त भूमि का बेचान, रहन व अन्य हंस्तातरण मूल वाद के निस्तारण तक नहीं करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 04/03/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)